



पुलिस मुख्यालय महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ

1-तिलक मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक:टीएस—आईसीजे-एस—01/2016
सेवा में,

दिनांक:लखनऊ:जनवरी 16, 2019

1. अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन, उत्तर प्रदेश।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
5. पुलिस अधीक्षक, समस्त रेलवेज, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जोन कोऑर्डिनेटर, कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड—ए, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त परिक्षेत्र कोऑर्डिनेटर, कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड—ए, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जनपद कोऑर्डिनेटर, कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड—ए, उत्तर प्रदेश।

विषय:—अपराध एवं अपराधी व एफआईआर के सम्बन्ध में अभियोजन, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कारागार, सीसीटीएनएस एवं माठ न्यायालय के आल इण्डिया डाटाबेस पर सर्च के समस्त पुलिस प्रमुख/प्रभारी अधिकारी तथा थानाध्यक्ष स्तर तक उपयोग किये जाने विषयक।

Interoperable Criminal Justice System [ICJS] पुलिस के लिए **Search Engine** है। जिसमें विभिन्न प्रकार के अपराध एवं अपराधी व एफआईआर के सम्बन्ध में अभियोजन, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कारागार, सीसीटीएनएस एवं माठ न्यायालय के आल इण्डिया डाटाबेस से सर्च कर सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में विभिन्न संचालित डिजिटल पुलिस पोर्टल के **Interoperable Criminal Justice System [ICJS] Search, NDC Search, Crime and Criminal Tracking Network and Systems(CCTNS) Portal Search** इत्यादि आपराधिक सर्च की उपयोगिता को विस्तृत रूप से समस्त जनपदीय पुलिस प्रमुख/प्रभारी अधिकारी तथा थानाध्यक्ष स्तर तक उपयोग हेतु निर्देश अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें द्वारा समांक पत्र 14.1.2019 द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

2. इस कम में **e-Prosecution** की प्रायोगिक परीक्षण (**Pilot Testing**) लखनऊ में पूरी की जा चुकी है। इसमें थाने के किसी विवेचक द्वारा किसी भी विवेचना में कानूनी सलाह के लिए किसी भी एस०पी०ओ० को **e-Prosecution** पोर्टल (www.eprosecution.gov.in) के माध्यम से आन—लाइन अपनी विवेचना सम्बन्धित एस०पी०ओ० को भेज सकते हैं। जनपदीय एस०पी०ओ० स्तर पर थानों से सम्बन्धित पी०ओ० को आवंटित कर दिया जायेगा जो परीक्षणोपरान्त अपनी कानूनी सलाह पुनः एस०पी०ओ० के माध्यम से ऑन—लाइन अपनी आख्या **e-Prosecution** पोर्टल (www.eprosecution.gov.in) पर वापस प्रेषित कर देंगे।

3. प्रदेश के सभी जनपदों के अन्तर्गत सभी **Prosecution Officers** की मैपिंग सम्बन्धित थानों से करा दी गयी है। उपरोक्त सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित थानाध्यक्ष को सूचना प्राप्त हो जायेगी।

4. **e-FSL** के सन्दर्भ में लखनऊ एफएसएल में प्रायोगिक परीक्षण का सफलतापूर्वक परीक्षण करा लिया गया है। **e-FSL** पोर्टल (www.eforensics.gov.in) पर एफएसएल लखनऊ द्वारा लगभग 700 रिपोर्ट अपलोड किये जा चुके हैं। इसे अन्य एफएसएल पर लागू कराया जाय जिसके लिए साफ्टवेयर को एनआईसी स्तर से पूर्ण विकसित कर अपग्रेड वर्जन उपलब्ध कराये जाने के लिए

तकनीकी मुख्यालय से एनआईसी के राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी (S.I.O) को पत्र निर्गत किया जायेगा।

5. e-Prison के सन्दर्भ में एनआईसी को निर्देशित किया गया कि ICJS पोर्टल पर e-Prison सुविधा को कियाशील किया जाय।

6. e-Court के सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय, एनसीआरबी एवं सम्बन्धित एनआईसी के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक से समन्वय स्थापित कर प्रदेश में मुरादाबाद एवं मैनपुरी में ई-कोर्ट के लिए प्रायोगिक परीक्षण शीघ्र प्रारम्भ कराने के लिए अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें को निर्देशित किया गया है। ज्ञातव्य हो कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तेलंगाना प्रदेश के वारंगल जनपद में ई-कोर्ट की व्यवस्था का परीक्षण सफल हो गया है।

7. Interoperable Criminal Justice System [ICJS] पुलिस के लिए शक्तिशाली Search Engine है जिसकी पूर्ण उपयोगिता के बारे में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को जागरूक होने की आवश्यकता है जिससे अधिक से अधिक उपरोक्त सुविधा का उपयोग के साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली की गुणवत्ता में वृद्धि हो सके।

~~(अधिकारी का नाम)~~
16.1.19
(ओ०पी० सिंह)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस महानिदेशक के जनरल स्टाफ आफीसर, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, महानगर लखनऊ।
7. संयुक्त निदेशक, अभियोजन, जनपद लखनऊ।
8. संयुक्त निदेशक, अभियोजन, अभियोजन निदेशालय, शालीमार टावर, विभूति खण्ड गोमती नगर, उ०प्र० लखनऊ।
9. ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, तकनीकी सेवाएँ, कैम्प कार्यालय पीएसी मुख्यालय, लखनऊ।
10. श्री आशीष सिंह, अभियोजन अधिकारी, अभियोजन निदेशालय, शालीमार टावर, विभूति खण्ड गोमती नगर, उ०प्र० लखनऊ।
11. श्रीमती संगीता मनीष, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, उत्तर प्रदेश राज्य एकक, तृतीय तल, योजना भवन, ९-सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ-२२६००१
12. श्री सुनील शर्मा, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, उत्तर प्रदेश राज्य एकक, तृतीय तल, योजना भवन, ९-सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ-२२६००१
13. समस्त जनपद कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड-ए) उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि जनपद के समस्त थानों के कम्प्यूटर आपरेटर एवं सीसीटीएनएस भिज पुलिस कार्मियों को अवगत करायें।
14. श्री रामदूत सिंह/ श्री विवेक कुमार रावत, प्रोग्रामर ग्रेड-२ उ०प्र० पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ को अग्रेतर समन्वय एवं कार्यवाही हेतु।
15. श्री दिविजय, कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड-ए), उ०प्र० पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि समस्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए को क्यू-मेल के माध्यम से प्रेषित किये जाने व अभिलेखार्थ रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने हेतु।
16. प्रभारी ईमेल को पत्र मेल व वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।